

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव

सेवा में

श्री शेखर प्रबल,
उप सचिव,
बिहार विधान परिषद्
पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- सन् 1948 से 1960 के दौरान राज्य में बसे सवा लाख बंगलादेशी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने विषयक अभ्यावेदन से सम्बद्ध मानवाधिकार समिति का 27वाँ प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के क्रमांक 4 एवं 5 का कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2910 (2) दिनांक-04.10.12, 3065 (2) दिनांक-30.10.12 एवं 356 (2) दिनांक-12.02.13 तथा विभागीय पत्रांक 3659 (आ०/प्र०) दिनांक-19.10.11 एवं 4909 दिनांक-11.12.12

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि अनुशंसा संख्या-5 का कार्यान्वयन आंशिक तौर पर हुआ है तथा उक्त जलकर करमनवा मन को मत्स्य एवं पशुपालन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है, किन्तु अनुशंसा संख्या 5 का अनुशंसा संख्या 4 के साथ पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो पाया है, चूँकि, आपदा प्रबंधन विभाग शरणार्थी मछुआ परिवार द्वारा गठित मत्स्यजीवी सहयोग समिति को 1 (एक रूपये) के टोकन मनी पर जलकर को स्थायी रूप से बंदोवस्त कर देने के समिति के प्रस्ताव पर, वित्त विभाग द्वारा असहमति जताई गई। तदनुसार कार्यान्वयन समिति को सूचित करते हुए इसे लम्बित सूची से विलोपित करने का अनुरोध-पत्र विभागीय पत्रांक 3659 (आ०/प्र०) दिनांक-19.10.11 द्वारा पूर्व में भेजा जा चुका है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्रांक 3659 (आ०/प्र०) दिनांक-19.10.11 की छायाप्रति पुनः संलग्न कर भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान सभा परिषद् की कार्यान्वयन समिति की लम्बित सूची से मुक्त करने का अनुरोध मानवाधिकार समिति से करने एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोपरि ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(राजीव कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक-04 / वि0प0वि0-39 / 2012 / / पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-04 / वि0प0वि0-39 / 2012 / 736 / पटना-15, दिनांक- 21/2/13.
प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,
पटना को इसे शीघ्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

1/1